"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2004—माघ 10, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 1-1/2004/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित जिलों की नगर निगम/नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों में नीचे दर्शाये गये स्थानों में उप चुनाव सम्पन्न कराये जा रहे हैं. इन उप चुनावों में मतदान दिनांक 15 जनवरी, 2004 को होना निर्धारित है :—

| क्र. (1) | जिले का नाम (2) | नगर निगम/नगरपालिका एवं नगर पंचायत का नाम (3) | वार्ड क्रमांक (रिक्त) (4) | वार्डों की कुल संख्या (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दुर्ग | नगर निगम, भिलाई | 6, 19 | 2 पार्षद |



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. | महासमुन्द | नगरपालिका परिषद्, महासमुन्द | 07 | 1 पार्षद |
| 3. | धमतरी | नगरपालिका परिषद्, धमतरी | 22 | 1 पार्षद |
| 4. | दुर्ग | नगरपालिका परिषद्, बालौद | 07 | 1 पार्षद |
| | | नगरपालिका परिषद्,, बेमेतरा | 12 | 1 पार्षद |
| 5. | राजनांदगांव | नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़ | 12 | 1 पार्षद |
| 6. | रायपुर | नगर पंचायत, आरंग | 8 | 1 पार्षद |
| 7. | महासमुन्द | नगर पंचायत, सरायपाली | 13, 14 | 2 पार्षद |
| 8. | दुर्ग | नगर पंचायत, धमधा | 11 | 1 पार्षद |
| | | नगर पंचायत, अहिवारा | 4 | 1 पार्षद |
| | | नगर पंचायत, पाटन | 15 | 1 पार्षद |
| 9. | बिलासपुर | नगर पंचायत, बिल्हा | 6 | 1 पार्षद |
| 10. | जांजगीर-चांपा | नगर पंचायत, नया बाराद्वार | 1, 3, 6 | 3 पार्षद |
| 11. | कोरिया | नगर पंचायत, बैकुंण्ठपुर | 6 | 1 पार्षद |
| 12. | रायगढ़ | नगर पंचायत, खरसिया | 2 | 1 पार्षद |
| 13. | जशपुर | नगर पंचायत, पत्थलगांव | 14 | 1 पार्षद |

2. अत: आदेशानुसार निवेदन है कि तालिका में दर्शाये गये वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को मतदान करने हेतु उनके चाहे अनुसार 2 घंटे कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जावें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.**

## वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

FORM M.P.F.C. 3

(See Rule 80)

### CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 2884/2003/वा. उ.—Certified that we have in the after noon of this day received charge of the Office of Principal Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Commerce, Industry and Public Enterprises Deptt. in pursuance of order No. E-1-5/2003/one/2, dated 26 December, 2003 and that the officer receiving charge travelled during joining time on......................(mention dated).

(For use in Audit Office only)

Noted in A/R at page........................................................

Noted in leave A/C at page............................................
Leave salary certificate/service statement issued on........................................................

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Noted in leave A/C at page............................................

Leave salary certificate service statement issued on........................................................
Payslip issued on...............................................................

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Relieved Officer..................................................

Signature...........................................................................

(Name in Block Letters)

Designation

Proceeding on transfer
Relieving Officer
Signature

(Name in Block Letters) (SHIVRAJ SINGH)

Designation Principal Secretary, Commerce, Industry & Public Enterprises Deptt.
Station Raipur.

Date 27-12-2003

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs. ....................

....................................................permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer..................................................

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2003

क्रमांक एफ 1-7/2003/(6)/11.—राज्य शासन द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छ. ग. रायपुर एवं कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें बिलासपुर हेतु सेट-अप (पद संरचना) निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :—

| क्र. (1) | पदनाम (2) | मान्य पद संख्या (3) | वेतनमान (4) | टीप (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रजिस्ट्रार | 1 | 12000-16500 | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से. |
| 2. | उप पंजीयक | 1 | 10000-15200 | पदोन्नति से |
| 3. | सहायक पंजीयक | 2 | 8000-13500 | पदोन्नति से |
| 4. | निरीक्षक | 3 | 5000-8000 | पदोन्नति से |
| 5. | सहायक अधीक्षक | 1 | 4500-7000 | |
| 6. | आडिटर | 3 | 4500-7000 | |
| 7. | स्टेनोग्राफर | 1 | 4500-7000 | |
| 8. | सहायक ग्रेड-2 | 2 | 4000-6000 | |
| 9. | सहायक ग्रेड-3 | 3 | 3050-4590 | |
| 10. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 1 | 3050-4590 | |
| 11. | स्टेनोटाईपिस्ट | 2 | 3050-4590 | |
| 12. | दफ्तरी | 1 | 2610-3540 | |
| 13. | भृत्य | 3 | 2550-3200 | |
| 14. | प्रोसेस सर्वर | 2 | 2550-3200 | |
| 15. | चौकीदार/फर्राश | 2 | कलेक्टर दर | |
| 16. | वाहन चालक | 1 | 2610-3540 | |

## कार्यालय, सहायक पंजीयक, बिलासपुर

| क्र. (1) | पदनाम (2) | मान्य पद संख्या (3) | वेतनमान (4) | टीप (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सहायक पंजीयक | 1 | 8000-13500 | पदोन्नति से |
| 2. | निरीक्षक | 1 | 5000-8000 | सीधी भरती/पदोन्नति |
| 3. | आडिटर | 1 | 4500-7000 | |
| 4. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 4000-6000 | |
| 5. | सहायक ग्रेड-3 | 1 | 3050-4590 | |
| 6. | भृत्य | 1 | 2550-3200 | |
| 7. | प्रोसेस सर्वर | 1 | 2550-3200 | |
| 8. | चौकीदार/फर्राश | 1 | कलेक्टर दर | |
| | कुल | 8 पद | | |

2. उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.

(3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे.

(4) दर्शाये गये सभी वेतनमान सही है. इस बात की पुष्टि कर ली गई है.

3. इन पदों पर व्यय मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (200) अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन (255) अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन-भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन, के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छ. ग. के लिए स्वीकृत पदों की संरचना में कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें, रायपुर संभाग समाहित हो जायेगा.

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 5/8 R-N1 /B 5-1 F/04 दिनांक 7-1-2004 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. आर. मालवीय,** अवर सचिव.

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 18-18/2003/6/11.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. विपणन प्रभाग के लिए निम्नानुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं :—

| क्रमांक (1) | पदनाम (2) | वेतनमान (3) | पद संख्या (4) | टीप (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य महाप्रबंधक | रु. 12000-16500 | 1 | |
| 2. | महाप्रबंधक | रु. 10000-15200 | 4 | |
| 3. | प्रबंधक | रु. 8000-13500 | 8 | |
| 4. | सहायक प्रबंधक (तक.) | रु. 5500-9000 | 2 | |
| 5. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | रु. 8000-13500 | 1 | |
| 6. | वरिष्ठ लेखापाल | रु. 5000-8000 | 1 | |
| 7. | वरिष्ठ सहायक | रु. 5000-8000 | 6 | |
| 8. | स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 | रु. 4500-7000 | 1 | |
| 9. | कैशियर | रु. 4000-6000 | 1 | |
| 10. | कनिष्ठ सहायक ग्रेड-2 | रु. 4000-6000 | 8 | |
| 11. | सहायक ग्रेड-3 | रु. 3050-4590 | 4 | |
| 12. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | रु. 3050-4590 | 7 | |
| 13. | वाहन चालक | रु. 3050-4590 | 2 | |
| 14. | भृत्य | रु. 2550-3200 | 5 | |
| 15. | चौकीदार | कलेक्टर दर | 2 | |
| 16. | स्वीपर | कलेक्टर दर | 1 | |
| | | कुल योग | 54 पद | |

2. उपरोक्त पदों की संरचना शर्तें निम्नानुसार होगी :—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा.
(2) पद संरचना के अंतर्गत रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.
(3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे.
(4) दर्शाये गये वेतनमान सही है. इस बात की पुष्टि विभाग द्वारा कर ली गई है.

3. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-11-मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-5520-छ. ग. स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर से विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 19/SR-3/B 5/F/04 दिनांक 15-1-04 द्वारा महालेखाकार रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 8-3/2003/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./4297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-12-2003 से दिनांक 29-2-2004 तक के लिए 3 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम 2002 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 8-6/2003/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पश्चिम) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-12-2003 से दिनांक 31-12-2003 तक के लिए 1 माह की छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जायेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम 2002 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अभय कुमार मिश्रा**, अवर सचिव.

---

## कृषि (सहकारिता) विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 1514/कृषि/2003-04.—Certified that we have in the fore of this day respectively made over and received charge of the Office of Secretary, Co-operation in pursuance of order No. *E-1-5/2003/one/2, dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travel during joining time on 29-12-2003 (mention date).

| | |
|---|---|
| (For use in Audit Office only) | Relieved Officer.................................................. |
| | Signature. Sd./- |
| Noted in A/R at page........................................................ | (Name in Block Letters) P. C. DALEI |
| Noted in leave A/C at page.............................................<br>Leave salary certificate/service issued on........................ | Designation SECRETARY CO-OPERATION, RAIPUR<br>29-12-2003 |

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement
Relieving Officer.............................................................
Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.....................................................
Noted in leave A/C at page.............................................

(Name in Block Letters) C. K. KHAITAN

Payslip issued on..............................................................

Designation SECRETARY CO-OPERATION

Station Raipur.

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003

---

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs. ....................

.....................................................permanent Advance Rs. ...........................................

---

* Where transfer of charge precedes the issue of formal order be the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.................................................

Forwarded to..................................................................

Relieving Office..............................................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. के. दवे,** अवर सचिव.

---

## कृषि विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक 5984/बी-6/26/04/14-2.—राज्य शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्र./4326/कृषि/2001, दिनांक 17-10-2001, डॉ. खूबचन्द बघेल "कृषक रत्न पुरस्कार" के नियम के अनुक्रमांक-6-जूरी-के सरल क्रमांक-1 में विशेष सचिव, कृषि-अध्यक्ष के आगे शब्द "सचिव अथवा" जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एल. जैन,** उप-सचिव.

## ऊर्जा विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2004

क्रमांक 46/47/13/ऊर्जा/04.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 131/स/ऊ./2003, दिनांक 18-4-2003 द्वारा श्री के. एस. अरोरा, कार्यपालिक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5(4) के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त किया गया था. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री के. एस. अरोरा को सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, के प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए.

2. अन्य आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का प्रभार श्री ए. के. राय, सदस्य (उत्पादन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पास रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एल. बंजारे**, उप-सचिव.

---

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 365/आजाक/2003-04.—Certified that we have in the afternoon of this day respectively made over and received charge of the Office of Principal Secretary, ST & SC Development in pursuance of order No. *E-1-5/2003/one/2, dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travel during joining time on 29-12-2003 .(mention date ).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer..............................................

Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.......................................................

(Name in Block Letters) SERJIUS MINJ

Noted in leave A/C at page............................................

Designation PRINCIPAL SECRETARY ST & SC DEV.

Leave salary certificate/service statement issued on.........................................................

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement
Relieving Officer.............................................................
Signature Sd/-

Noted in A/R at page ..................................................
Noted in leave A/C at page..............................................
Payslip issued on...............................................................

(Name in Block Letters) P. C. DALÉI

Designation SECRETARY CO-OPERATION

Station Raipur

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003

---

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs. ..................... ....................................................permanent Advance Rs. ......................................................

---

* Where transfer of charge precedes the issue of formal order be the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer..................................................

Forwarded to...................................................................

Relieving Office.................................................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. के. देवानी,** अवर सचिव.

---

## जल संसाधन विभाग
## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 7076/जसंसा/2003.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the Office of सचिव, जल संसाधन विभाग in pursuance of order No. *ई-1-5/2003/112 dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 29 दिसम्बर, 2003 (अपरान्ह) (mention dates).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer..................................................

Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.........................................................

(Name in Block Letters) (के. डी. पी. राव)

Noted in leave A/C at page............................................
Leave salary certificate/service statement issued on.........................................................

Designation विशेष सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय.

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement
Relieving Officer.................................................................
Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.................................................

(Name in Block Letters) सरजियस मिन्ज

Noted in leave A/C at Page.............................................
Payslip issued on.................................................................

Designation उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय.
Station Raipur.

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003 (अपरान्ह)

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs. ....................

.....................................................permanent Advance Rs. .....................................................

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer..................................................

Forwarded to...................................................................

Relieving Officer..............................................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो,** अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 266/21-ब/छ. ग./04.—श्री जे. आर. रोशन, अधिवक्ता, जशपुर नगर, को फास्ट ट्रेक कोर्ट में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर इस विभाग के आदेश क्रमांक 1577/21-ब/4035, दिनांक 6-8-2001 के द्वारा नियुक्त किया गया था. श्री जे. आर. रोशन की सेवाओं की अब आवश्यकता न होने के कारण राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जे. आर. रोशन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, जशपुर नगर, की सेवायें समाप्त करते हुए, उन्हें अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद से हटाये जाने संबंधी, एक माह का नोटिस जारी करता है.

तद्नुसार आज दिनांक 9-1-2004 से एक माह के पश्चात् अर्थात् दिनांक 8-2-2004 से श्री जे. आर. रोशन की सेवायें स्वमेव समाप्त हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रभात शास्त्री,** उप-सचिव.

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 3-1/2003/55.—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में बड़ी संख्या में पद रिक्त है तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1987 के अनुसार आवश्यक अनुभव न होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है. राज्य शासन द्वारा अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई, परन्तु इसके बाद भी अनुभव की कमी के कारण अनेक पद रिक्त है. राज्य शासन चाहता है कि पदों की पूर्ति शीघ्रता से हो सके.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1987 की अनुसूची में सह-प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के पदों को भरने के लिये नियमों में एक वार का शिथिलीकरण करते हुए, इन पदों को पदोन्नति के स्थान पर सीधी भरती से भरने की स्वीकृति प्रदान करता है. इसे भविष्य के लिये पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण कुमार ध्रुव**, अवर सचिव.

---

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 6-1/खाद्य/2004/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ''छत्तीसगढ़ शासन के कार्य नियम'' (Chhattisgarh Government rules of business) के नियम (13) के अधीन अनुपूरक अनुदेश भाग (5) के अनुदेश क्रमांक 2 ''क'' एक के अनुसार मुझमें निहित प्राधिकार के अनुसरण में, मैं (मेघाराम साहू) मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-168/95/29-2, दिनांक 11-1-2001 को निरस्त करता हूं एवं निर्देश देता हूं कि दिनांक 31-8-97 तक के समस्त अपील/पुनरीक्षण, जो राज्य शासन के समक्ष लंबित है एवं तत्पश्चात् प्रस्तुत अपील/निगरानी प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा.

हस्ता./-

**(मेघाराम साहू)**
मंत्री

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2004

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 01/राजस्व/2004.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respetively made over and received charge of the Office of राजस्व विभाग in pursuance of order No. *ई-1/24/2003/एक/2, dated 1 जनवरी 2004 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 1 जनवरी 2004 (पूर्वान्ह) .(mention dates).

(For use in Audit Office only)

Noted in A/R at page ......................................................
Noted in leave A/C at page.............................................
Leave salary certificate/service statement issued on........................................................

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Noted in A/R at page......................................................
Noted in leave A/C at page.............................................

Payslip issued on.............................................................

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Relieved Officer..................................................

Signature.............................................................................

(Name in Block Letters)

Designation

Proceeding on transfer/leave/retirement
Relieving Officer................................................................
Signature..........................................................................

(Name in Block Letters) (अवध बिहारी)

Designation संयुक्त सचिव

Station रायपुर

Date 01 जनवरी 2004

---

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs. .....................

......................................................permanent Advance Rs. ...............................................

---

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer..................................................

Forwarded to....................................................................

Relieving Officer..................................................................

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 4 अ-82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | गोईन्दा प. ह. नं. 148/44 | 25.04 | कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर. | ग्राम गोईन्दा प.ह.नं. 148/44 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन. |

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | छटेरा प. ह. नं. 149/47 | 22.77 | कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर. | ग्राम छटेरा प.ह.नं. 149/47 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन. |

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा./अ.वि.अ./02 अ-82, 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है.

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | बरौदा प. ह. नं. 72/15 | 8.89 | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विमानन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर. | रायपुर (माना) विमानतल के विस्तार हेतु अनिवार्य भू-अर्जन. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक देवांगन**, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 06/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| ज़िला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | आमामुड़ा | 1.426 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | वेस्ट वियर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 07/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | आमामुड़ा | 1.510 | कार्यपालन, अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 08/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | खैरझिटी | 7.392 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 सिम्बर 2003

पृष्ठाकंन क्र. 09/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | खैरझिटी | 1.000 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | पंडरापथरा | 3.203 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | बानाबेल | 0.579 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 4 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | महोरा | 34.698 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

क्रमांक 18/ अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | डाहीबहरा | 0.558 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | डाहीबहरा जलशय के लघु नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 3 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | सेंवरा | 43.820 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | बगड़ी ज़लाशय के डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 5 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | मझगवां | 22.592 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | बगड़ी जलाशय के डूब एवं बण्ड क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 2 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | कोरजा | 0.911 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | खुदरी जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 6 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | अड़भार | 3.154 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकास शील**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | सरायपाली | पोटापारा प.ह.नं. 01 | 3.34 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.). | थीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | बसना | लोहरिनडीपा प.ह.नं. 02 | 1.75 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.). | थीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | बसना | टीपा प.ह.नं. 02 | 1.53 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.). | थीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | सरायपाली | गोधामुड़ा प.ह.नं. 12 | 2.78 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.) | लमकेनी सरायपाली जलाशय में दार्यी तट नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | सरायपाली | सरायपाली प.ह.नं. 12 | 0.08 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.). | लमकेनी सरायपाली जलाशय में दार्यी तट नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 25/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | महासमुन्द | बैतारी प.ह.नं. 34 | 0.28 | कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग (सेतु निर्माण) रायपुर | बसना-बम्हनी बिलाईगढ़ मार्ग बतौरी नाला सेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनिन्दर कौर द्विवेदी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 03/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | तुरंगा प.ह.नं. 42 | 2.379 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.) | तुरंगा जलाशय के लिये भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 04/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | रनभांठा प.ह.नं. 40 | 0.166 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.). | रनभांठा व्यपवर्तन हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | सुटुपाली प.ह.नं. 42 | 1.558 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.). | सुटुपाली जलाशय के लिये भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 06/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | मचिदा प.ह.नं. 42 | 0.817 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.). | सुटुपाली जलाशय योजना के डूब हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | रायगढ़ | कलमी प.ह.नं. 42 | 3.253 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.). | सुटुपाली जलाशय के लिए भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 9/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | ढिमानी | 0.020 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | टेमटेमा | 1.124 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.381 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 331 | 0.028 |
| 332 | 0.057 |
| 330/2 | 0.053 |
| 330/5 | 0.047 |
| 324/1 | 0.057 |
| 218 | 0.008 |
| 219/2 | 0.014 |
| 211 | 0.012 |
| 210 | 0.032 |
| 366 | 0.038 |
| 203/4 | 0.053 |
| 369/3 | 0.012 |
| 302/4 | 0.038 |
| 334 | 0.077 |
| 340 | 0.028 |
| 344/3 | 0.024 |
| 344/4 | 0.053 |
| 346 | 0.004 |
| 347 | 0.012 |
| 359/1 | 0.065 |
| 369/1 | 0.018 |
| 367 | 0.004 |
| 364/2 | 0.008 |
| 369/6 | 0.077 |
| 369/10 | 0.099 |
| 396/1, 396/4 | 0.028 |
| 378/5 | 0.024 |
| 378/4 क | 0.125 |
| 378/4 ख | 0.073 |
| 385/1 | 0.024 |
| 385/2 | 0.028 |
| 378/11 | 0.081 |
| 388/4 | 0.012 |
| 388/5 | 0.012 |
| 388/6 | 0.012 |
| 359/2 | 0.012 |
| 388/7 | 0.012 |
| 388/1 | 0.004 |
| 213 | 0.016 |
| योग | 1.381 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कंचदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्र. 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 438/1 | 0.016 |
| 452/2 | 0.016 |
| 449/2 | 0.004 |
| योग | 0.036 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तुषार माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13नवम्बर 2003

क्र. 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोडसरा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.541 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 378/2 | 0.016 |
| 379 | 0.040 |
| 380/1 | 0.053 |
| 387 | 0.032 |
| 390/6 | 0.012 |
| 459 | 0.012 |
| 456/1 | 0.020 |
| 454/1 | 0.04 |
| 441/1 | 0.036 |
| 440 | 0.016 |
| 912 | 0.008 |
| 913/2 | 0.024 |
| 455/3 | 0.024 |
| 442/5 | 0.004 |
| 914/2 | 0.004 |
| 872/3 | 0.036 |
| 839/1 | 0.012 |
| 838/1, 838/4 | 0.028 |
| 828/2 | 0.028 |
| 829 | 0.028 |
| 848/1 | 0.024 |
| 849 | 0.024 |
| 850 | 0.036 |
| 827/21 | – |
| योग | 0.541 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कचंदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्र. 11/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-गलगलाडीह, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.656 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 297/2 | 0.040 |
| 297/3 | 0.028 |
| 297/1 ख | 0.004 |
| 297/4 | 0.028 |
| 314/1 | 0.024 |
| 311 | 0.034 |
| 327 | 0.016 |
| 276/1 | 0.008 |
| 206 | 0.008 |
| 215/1 | 0.008 |
| 275 | 0.016 |
| 191 | 0.040 |
| 257/3 | 0.012 |
| 259 | 0.032 |
| 205 | 0.004 |
| 318 | 0.004 |
| 215/2 | 0.008 |
| 210 | 0.004 |
| 564 | 0.004 |
| 569 | 0.008 |
| 631/1 | 0.012 |
| 661/2 | 0.040 |
| 662/1 | 0.016 |
| 660 | 0.004 |
| 666 | 0.020 |
| 667 | 0.012 |
| 653/1 | 0.016 |
| 653/2 | 0.045 |
| 715/1 ब | 0.117 |
| 715/1 छ | 0.016 |
| 715/1 ह | 0.028 |
| योग | 0.656 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गलगलाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2003

क्र. 12/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कुटराबोर, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.377 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 773/1 | 0.089 |
| 776/4 | 0.053 |
| 776/6 | 0.101 |
| 776/5 | 0.105 |
| 824 | 0.129 |
| 1648 | 0.008 |
| 776/3 | 0.012 |
| 815/2 | 0.012 |
| 828 | 0.065 |
| 822 | 0.016 |
| 821/1 | 0.016 |
| 819/4 | 0.049 |
| 819/5 | 0.117 |
| 815/1 | 0.097 |
| 815/3 | 0.049 |
| 816 | 0.008 |
| 1103/1 | 0.028 |
| 792/6 | 0.073 |
| 812/2 | 0.032 |
| 1153 | 0.057 |
| 792/2 | 0.020 |
| 1152 | 0.008 |
| 913, 914, 915, 916, 917 | 0.057 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1114/1 | 0.065 |
| 1108 | 0.036 |
| 1107 | 0.053 |
| 1106 | 0.053 |
| 1105 | 0.040 |
| 1104/1 | 0.008 |
| 1103/2 | 0.032 |
| 1103/3 | 0.032 |
| 1103/4 | 0.024 |
| 1099/3 | 0.073 |
| 1099/1 | 0.073 |
| 1099/2 | 0.020 |
| 1154 | 0.057 |
| 911/2 | 0.012 |
| 801 | 0.073 |
| 1643/1 | 0.004 |
| 1643/2 | 0.036 |
| 1645 | 0.036 |
| 1650/3 | 0.231 |
| 1650/1, 2 | 0.073 |
| 1650/4 | 0.016 |
| 1191/1 | 0.040 |
| 912/1 | 0.020 |
| 909/3 | 0.069 |
| योग | 2.377 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली शाख वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2003

क्र. 13/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 418/2 | 0.210 |
| 438/5, 438/6, 556/2 | 0.129 |
| 463 | 0.036 |
| 464/1 | 0.008 |
| 462/2 | 0.129 |
| 471, 472 | 0.012 |
| 468/1 | 0.008 |
| 467 | 0.049 |
| 468/2 | 0.020 |
| 499/3 | 0.020 |
| 514/1 | 0.020 |
| 514/2 | 0.101 |
| 513 | 0.024 |
| 515/3 | 0.012 |
| 499/4 | 0.032 |
| 515/2 ख | 0.012 |
| 500 | 0.008 |
| 501 | 0.004 |
| 540/2 | 0.032 |
| 540/3 | 0.024 |
| 537 | 0.012 |
| 535/2 | 0.020 |
| 538 | 0.028 |
| 660, 661 | 0.093 |
| 535/5 | 0.008 |
| 535/3 | 0.065 |
| 531 | 0.036 |
| 664/1 | 0.004 |
| 555/2 | 0.004 |
| 555/1, 555/3 | 0.045 |
| 685 | 0.032 |
| 686 | 0.032 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 663/1 | 0.016 |
| 664/7 | 0.020 |
| 664/2 | 0.032 |
| 676 | 0.008 |
| 664/4 | 0.012 |
| 468/3 | 0.008 |
| 439/2 | 0.049 |
| 540/1 | 0.004 |
| 540/9 | 0.012 |
| 540/10 | 0.016 |
| योग | 1.446 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. सारथी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

खरसिया, दिनांक 16 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 )की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.960 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा<br>(हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 89/1, 91/2 | 0.061 |
| 89/2 | 0.008 |
| 79/3 | 0.004 |
| 79/2 | 0.053 |
| 79/1 | 0.129 |
| 78/2 | 0.02[illegible] |
| 76/2 | 0.008 |
| 76/1 | 0.061 |
| 73/3 | 0.085 |
| 75/1 | 0.032 |
| 74/1 | 0.061 |
| 41/1 | 0.016 |
| 34/3 | 0.012 |
| 74/2 | 0.012 |
| 35 | 0.065 |
| 36/1 | 0.077 |
| 37/2 | 0.016 |
| 37/1 | 0.020 |
| 38/1 | 0.032 |
| 39/2 | 0.032 |
| 39/3 | 0.004 |
| 40 | 0.089 |
| 43/2, 6/1 | 0.065 |
| 44/2 | 0.101 |
| 77/1 | 0.093 |
| 77/2 | 0.101 |
| 26/1 | 0.097 |
| 26/3 | 0.150 |
| 25/1 | 0.069 |
| 21/3 | 0.275 |
| 304/2 | 0.065 |
| 325/3 | 0.020 |
| 304/1 | 0.049 |
| 306/2 | 0.045 |
| 311/1 | 0.061 |
| 312 | 0.024 |
| 335/1 | 0.032 |
| 309/2 | 0.008 |
| 310/2 | 0.069 |
| 313/1, 313/2 | 0.142 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 319/1 ख | 0.016 |
| | 319/1 ग | 0.081 |
| | 320/1 | 0.049 |
| | 321/3 | 0.028 |
| | 322/5 | 0.028 |
| | 323/1 | 0.040 |
| | 326/1 | 0.020 |
| | 326/2 | 0.016 |
| | 330/1 | 0.028 |
| | 337/1 | 0.057 |
| | 340/2 | 0.008 |
| | 341/3 | 0.036 |
| | 342/1 | 0.012 |
| | 342/2 | 0.057 |
| | 333/1 | 0.077 |
| | 334 | 0.020 |
| | 340/1 | 0.020 |
| योग | 57 | 2.960 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

खरसिया, दिनांक 6 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 )की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लिटाईपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.163 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 110/4 | 0.069 |
| 110/2 | 0.081 |
| 110/3 | 0.073 |
| 118/6, 111/1 | 0.089 |
| 111/2 | 0.008 |
| 112 | 0.109 |
| 129/1 | 0.085 |
| 136/1, 134, 137, 131/3 | 0.121 |
| 150 | 0.049 |
| 151 | 0.024 |
| 145, 146 | 0.133 |
| 140 | 0.012 |
| 166 | 0.016 |
| 164/7 | 0.016 |
| 164/1 | 0.121 |
| 156/2 | 0.032 |
| 164/5 | 0.077 |
| 163/2 | 0.012 |
| 163/3 | 0.049 |
| 161/2 | 0.036 |
| 149 | 0.016 |
| 110/3 | 0.008 |
| 110/6, 111/1 | 0.008 |
| 113/2, 113/4 | 0.032 |
| 113/1 | 0.077 |
| 113/2 क | 0.073 |
| 127/2 | 0.016 |
| 128 | 0.028 |
| 125/1 | 0.045 |
| 126 | 0.045 |
| 120/2, 121 | 0.040 |
| 120/1 | 0.061 |
| 119/1 | 0.040 |
| 79/2 | 0.053 |
| 79/3 | 0.024 |
| 75/3 | 0.016 |
| 80/2 ख | 0.061 |
| 81/4 | 0.065 |
| 81/5 | 0.020 |
| 81/3 | 0.004 |
| 81/1 | 0.053 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 83/1 ख, 82 | 0.057 |
| 69/4 ख, 70/2 ख, 71/2 ख | 0.028 |
| 69/1, 70/1, 71/1 | 0.081 |
| योग 44 | 2.163 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

खरसिया, दिनांक 12 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 148/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेदेवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.544 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 436 | 0.036 |
| 435 | 0.065 |
| 433 | 0.117 |
| 432 | 0.045 |
| 429/2 | 0.077 |
| 429/1 | 0.028 |
| 352/1 | 0.061 |
| 425/3 | 0.069 |
| 349/1 | 0.032 |
| 349/2 | 0.016 |
| 347/2 | 0.020 |
| 351 | 0.190 |
| 287 | 0.045 |
| 113/5 | 0.008 |
| 346/5 | 0.093 |
| 346/4 | 0.024 |
| 345/2 | 0.008 |
| 317/2 | 0.061 |
| 288 | 0.045 |
| 347/1 | 0.004 |
| 346/3 | 0.077 |
| 346/2 | 0.032 |
| 357/1 | 0.077 |
| 357/10 | 0.053 |
| 357/3 | 0.194 |
| 360/1 | 0.109 |
| 360/4 | 0.008 |
| 317/1 | 0.061 |
| 357/7 | 0.057 |
| 342/5 | 0.032 |
| 360/3 | 0.162 |
| 315/1 | 0.053 |
| 320/1 | 0.004 |
| 313/1 घ | 0.004 |
| 314/2 | 0.028 |
| 314/1 | 0.061 |
| 320/2 | 0.081 |
| 321/3 | 0.049 |
| 321/4 | 0.004 |
| 289 | 0.053 |
| 290/9 | 0.020 |
| 112/3 | 0.057 |
| 290/14 | 0.004 |
| 290/5 | 0.162 |
| 286 | 0.093 |
| 285/2 | 0.045 |
| 283/3 | 0.061 |
| 282/1 | 0.073 |
| 290/8 | 0.040 |
| 360/2 | 0.020 |
| 282/2 | 0.061 |
| 81/3, 82/1, 83 | 0.069 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 84/5 | 0.040 |
| 84/2 | 0.049 |
| 357/6 | 0.190 |
| 342/4 | 0.061 |
| 81/2, 82/2 | 0.065 |
| 84/1 | 0.073 |
| 84/4 | 0.045 |
| 111/3 | 0.065 |
| 350 | 0.008 |
| येग 61 | 3.344 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2003

क्रमांक/क/वा. 1/अ.वि.अ./6 अ-82, 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए, आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-खामतराई, प. ह. नं. 108
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.035 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 492/1 | 0.035 |
| योग | 0.035 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायपुर बिलासपुर मार्ग पर खामतराई के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज, निर्माण हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक देवांगन,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.